(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 7 फरवरी, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति की समीक्षा ----------1
मुख्य घटनाएं----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------4
सूक्ष्म वित्त ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

3री तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा - 29 जनवरी, 2013

मौद्रिक एवं चलनिधि से सम्बन्धित उपाय

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) दर 8.0% से 25 आधार अंक घटाकर 7.75% कर दी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति-पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर पुनर्खरीद दर से कम स्तर पर 100 आधार अंक के विस्तार के साथ निर्धारित 6.75% पर अंशांकित।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर पुनर्खरीद दर तथा बैंक दर से भी कम स्तर पर 100 आधार अंक के विस्तार के साथ निर्धारित 8.75% पर समायोजित।
- 9 फरवरी, 2013 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रभावी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 4.25% से 25 आधार अंक घटाकर उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) का 4.0% कर दिया गया।

मुद्रास्फीति

सुर्खियों मे आई थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति सितम्बर 2012 में 8.1 % से महत्वपूर्ण रूप से घटकर दिसम्बर तक 7.2% रह गई। निविष्टियों की कीमतों के दबाव कम हो जाने के कारण खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों के कारण बढ़ी मुद्रास्फीति में नवम्बर-दिसम्बर में तीव्र कमी आई। खाद्य मुद्रास्फीति में प्रति-चक्रीय और संरचनात्मक, दोनों ही कारकों का प्रतिबिंबन करते हुए दिसम्बर में उसके बढ़कर दोहरे अंक तक पहुंच जाने के कारण विपरीत व्यवहार परिलक्षित हुआ। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के विपरीत नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा यथा-मापित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति व्यापक रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल का निरूपण करते हुए दिसम्बर में बढ़कर 10.6% हो गई। खाद्य और ईंधन समूहों को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही के दौरान 8.4% पर अपरिवर्तित रही। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति घरेलू

आपूर्ति-मांग संतुलनों और जिंसों की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्तियों में अपेक्षित सुधार को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2013 के लिए आधार रेखा थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में 76.8% अधोमुखी संशोधन करते हुए उसे 7.5% के स्थान पर 6.8% किया गया।

मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियां

मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के संकेतात्मक प्रक्षेप-पथ से कम रही जिससे समग्र जमाराशियों की वृद्धि में कमी तथा आर्थिक गतिविधि में सुधार का द्योतन हुआ। समग्र खाद्येतर ऋण वृद्धि संकेतात्मक प्रक्षेप-पथ के आसपास रही। हालांकि, उद्योग को बैंक ऋण में उल्लेखनीय गिरावट परिलक्षित हुई, जबकि कृषि को ऋण में वृद्धि दर्ज हुई। वर्तमान वर्ष के लिए एम वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर 13% कर दिया गया है, जबकि खाद्येतर ऋण वृद्धि का पूर्वानुमान 16% पर कायम रखा गया है।

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल द्वारा एकसमान खाता संख्या वाले ढांचे पर विचार

भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय बैंकों में 26-अंकीय अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (IBAN) आरूप का उपयोग किया जाए। अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (IBAN) विशुद्धता और गति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बैंकों के बीच लेनदेनों के बारे में सूचनाएं रखने की एकसमान प्रणाली है। यह जमा को गलत खाते में जाने से रोकती है तथा सीधा संसाधन सुगम बनाती है। अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (IBAN) राष्ट्रीय सीमाओं के पार बैंक खातों की पहचान करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। उक्त आरूप में 26 अंकों अर्थात 18 अंकों वाली बैंक खाता संख्या, 4 अंकों वाले बैंक कूट, 2 अंकों वाले देश कूट और 2 अंकों वाली चेक संख्याओं की परिकल्पना की गई है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

एटीएम सेवा के प्रत्याख्यान (इनकार) के कारण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उनके निदेशक मंडल द्वारा एटीएम लेनदेनों के तिमाही पुनरीक्षण में एटीएम स्थलों पर (ग्राहकों को) सेवा के प्रत्याख्यान, उसके कारणों तथा इस प्रकार की घटनाएं होने से बचने के लिए की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सूचना शामिल करने के लिए कहा है। उसने अवैध

लेनदेनों, अवैध पिन, अतिलंघित आहरण सीमा आदि सहित उन 33 कारणों की एक संकेतात्मक सूची दी है जिनका बैंकों के लिए उल्लेख करना जरूरी है।

कारपोरेट बॉण्ड पुनर्खरीद (Repo) बाज़ार के मानदंडों में ढील

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्पावधिक ऋण प्रतिभूतियों को भी उनका पात्र बनाते हुए और ऋण चूक अदला-बदली समूह को व्यापक बनाते हुए कारपोरेट पुनर्खरीद (Repo) बाज़ार में लेनदेन करने हेतु मानदंडों को सरल बना दिया है। व्यापारी इसे बॉण्ड बाज़ारों को गहनता प्रदान करने की दिशा में एक छोटा-सा कदम बताते हैं। अब अल्पावधिक कारपोरेट ऋण का क्रय-विक्रय पुनर्खरीद बाज़ार में किया जा सकता है जहां प्रतिभूतियों के धारक एक भावी तिथि को वापस खरीदने के वचन के साथ निधियां उधार लेने हेतु उन्हें गिरवी रख सकते हैं। कारपोरेट ऋण में पुनर्खरीद की अनुमति वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों और एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों:में भी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-सूचीबद्ध और एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाली कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में चूक के समक्ष एक बीमे के रूप में ऋण चूक अदला-बदली की भी अनुमति दी है।

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के मानदंड शिथिल

वाणिज्यिक पत्रों (CPs) को आकर्षक बनाने के एक अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारीकर्ताओं को इन लिखतों को परिपक्वता से पहले वापस खरीदने की अनुमति दे दी है। उसने वाणिज्यिक पत्रों के न्यूनतम साख श्रेणी निर्धारण को भी मामूली तौर पर बदल दिया है, ताकि अधिक कम्पनियां अपने परिचालनों के लिए अल्पावधिक निधीयन आवश्यकताएं पूरी करने हेतु उनका लाभ उठा सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि वाणिज्यिक पत्रों की वापसी खरीद गौण बाज़ार के माध्यम से तथा प्रचलित बाज़ार मूल्य पर की जा सकती है।

समय-पूर्व चुकौती जुरमाना केवल स्थिर दर वाले ऋण की देय राशियों पर ही वसूल करें

भारतीय रिज़र्व बैंक की एक समिति ने बैंकों को समय-पूर्व भुगतानों पर जुरमाने के ढांचे को संशोधित करने और उसे केवल बकाया रकम पर ही वसूल करने की सलाह दी है। उसने यह भी सिफारिश की है कि बैंक अधिक लम्बी अवधि वाले ऋणों का निधीयन करने के लिए दीर्घावधिक जमाराशियां जुटाएं। इससे गृह ऋण के उधारकर्ताओं को समीकृत मासिक किस्त के भार को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, इसप्रकार उनकी पर्याप्त रकमें बच जाएंगी। समिति ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे दीर्घावधिक स्थिर दर वाले उत्पादों को लोकप्रिय बनाएं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बॉण्डों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की सीमा बढ़ाई

भारतीय बॉण्ड बाज़ार में विदेशी निधियां अकर्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) और कारपोरेट बॉण्डों, प्रत्येक में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की उच्चतम सीमा में 5 बिलियन डालर की वृद्धि कर दी है। अब घरेलू ऋण से सम्बन्धित सीमा 75 बिलियन डालर है। सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश से सम्बन्धित 10 बिलियन डालर की उप-सीमा में 5 बिलियन डालर की वृद्धि की गई थी ,जबकि मूलभूत सुविधा क्षेत्र को छोड़कर कारपोरेट ऋण से सम्बन्धित सीमा 20 बिलियन डालर से बढ़ाकर 25 बिलियन डालर कर दी गई थी।

टियर-II बॉण्ड खुदरा निवेशकों को जारी करें

भारत में कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार को बढ़ी खुदरा सहभागिता के माध्यम से गहन बनाने के उद्देश्य से टियर-II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण जारी करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार की निधियां खुदरा निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाने पर विचार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इन बॉण्डों की न्यूनतम परिपक्वता पांच वर्ष की होती है। हालांकि, उनके वर्ष की अंतिम तिमाही में अर्थात 1 जनवरी से 31 मार्च तक जारी किए जाने पर उनकी न्यूनतम अवधि 63 माह होनी चाहिए।

मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड निवेशकों को सोने से दूर रखेंगे

निवेशकों को सोना खरीदने से दूर रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्डों (IIBs) को एक नयी रीति से आरंभ करने का निर्णय लिया है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इस बॉण्ड पर मूलधन और उसके साथ ही साथ कूपन दर मुद्रास्फीति से सूचकांकित होगी।

विभेदक दरें केवल 1 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशियों के लिए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभेदक ब्याज दरों के भुगतान हेतु थोक (भारी मात्रा में) जमाराशियों की परिभाषा को संशोधित कर दिया है। अब बैंक 1 करोड़ रुपये से अधिक जमाराशियों के लिए विभेदक ब्याज दरों का भुगतान कर सकते हैं। इसके पूर्व यह सीमा 15 लाख रुपये थी। बैंकों के लिए उन जमाराशियों, जिन पर विभेदक ब्याज का भुगतान किया जाएगा सहित देय ब्याज दरों की सूची को अग्रिम रूप से प्रकट करना आवश्यक होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

धन-शोधन और बैंकिंग विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी

श्री प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति के प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋणों की वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 के साथ इन्हें मंजूरी देने के परिणामस्वरूप धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 देश के कानून बन गए हैं।

गृह ऋण की समीकृत मासिक किस्तों के भुगतान हेतु 30 वर्ष

उधारकर्ताओं को ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से बचाने और समीकृत मासिक किस्तों (EMIs) के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित के. के. वोहरा पैनल ने सुझाव दिया है कि बैंक 30 वर्ष की चुकौती अवधि वाले उत्पाद प्रदान करें। यह मुहिम ग्राहकों और बैंकों, दोनों को ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से बचा सकती है। बैंकों को स्थिर और अस्थिर, दोनों ही प्रकार की ब्याज दर वाले ऐसे मिश्रित ऋण आरंभ करने की भी सलाह दी गई है, जिसमें स्थिर दर का अनुपात अधिक हो। उक्त पैनल ने यह पाया है कि अधिकांश ऋण उत्पाद सामान्यतया 15-25 वर्ष की परिपक्वता वाली श्रेणी में हैं तथा स्वरूप की दृष्टि से अस्थिर हैं।

बैंकों द्वारा दर लाभ को अंतरित करने की संभावना नहीं

श्री आनंद भौमिक, वरिष्ठ निदेशक, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य नीतिगत दरों में कमी किए जाने के बावजूद बैंकों को उधार दरों को घटाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उनमें कुछेक के लिए अल्पावधिक निधीयन असंतुलन हमेशा की अपेक्षा अधिक हैं। "बैंकों के घरेलू खुदरा जमाकर्ता आधार द्वारा जोखिम आंशिक रूप से न्यूनीकृत हो जाता है, किन्तु पुनर्वित्तीयन की उच्च गति तिमाही के अंत वाली चलनिधि को संकुचित कर देती है, निधीयन लागतों को बढ़ाए रखती है तथा नीतिगत दर में किसी कटौती के उधारकर्ता को प्रेषण को विलंबित कर देती है।"

सूक्ष्म, लघु उद्यमों को संपार्श्विक-रहित ऋणों की ब्याज दर सीमा बढ़ाएं

बैंकों ने ऋण गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को दिए जाने वाले संपार्श्विक-रहित ऋणों पर उनकी न्यूनतम उधार दरों पर उच्चतर कीमत-लागत अंतर (Mark-up) वसूल करने में लचीलेपन की मांग की है। वर्तमान में, ऋण गारंटी योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में किसी एकल पात्र उधारकर्ता को बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त 1 करोड़ रुपये से अनधिक ऋण सुविधाओं (निधि-आधारित और / अथवा गैर-निधि-आधारित) का समावेश होता है।

बासेल -III : भारतीय रिज़र्व बैंक एसएलआर पोर्टफोलियो से चलनिधि भण्डार के पक्ष में

बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासेल समिति द्वारा चलनिधि सुरक्षा अनुपात (LCR) के कार्यान्वयन में सहूलियत दिए जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक की राय यह है कि भारतीय बैंकों को उनके मौजूदा सांविधिक चलनिधि पोर्टफोलियो से उपभोज्य चलनिधि वापस मंगवानी पड़ सकती है। चलनिधि सुरक्षा अनुपात

(LCR) के तहत बैंकों से अत्यधिक अनिरुद्ध आस्तियों का एक ऐसा न्यूनतम स्तर धारित करना अपेक्षित है, जिसे चलनिधि संकट से निपटने के लिए खुले बाज़ार में बेचा जा सके। सामान्य स्थितियों में, इन आस्तियों को आवश्यक रूप से कम से कम नियमित आधार पर बैंक के कुल निवल नकदी प्रवाह के बराबर होना चाहिए। भारत में बैंकों के लिए उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTLs) का 23% सरकारी प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। हालांकि, सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) चलनिधि सुरक्षा अनुपात (LCR) की बासेल अपेक्षा को नहीं पूरा करता, क्योंकि बैंकों द्वारा धारित आस्तियां भार-रहित और अनिरुद्ध (Liquid) नहीं होतीं।

मूलभूत सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमाएं बढ़ाई गईं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा वित्त कम्पनियों (IFCs) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) सीमाएं बढ़ा दी हैं। स्वयमेव मार्ग के अधीन यह सीमा बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) सहित स्वाधिकृत निधियों के 50% से बढ़ा कर 75% कर दी गई है। अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75% से अधिक की बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की इच्छुक कम्पनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी और इसलिए उन्हें अनुमोदन वाले मार्ग के अधीन माना जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव स्वर्ण ऋण कम्पनियों की समृद्धि में सहायक हो सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) अनुपात को वर्तमान 60% से बढ़ा कर 75% किए जाने के प्रस्ताव के स्वर्ण कम्पनियों के उनके व्यवसाय का परिमाण एक यथोचित दर पर बढ़ाने में सहायक होने की संभावना है। हालांकि, वृद्धि की गति पिछले तीन वर्षों में परिलक्षित 120% की चतुर्दिक वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की तुलना में काफी कम हो सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वर्ण ऋण कम्पनियों (GLCs) पर नियुक्त केयूबी राव समिति ने अपनी रिपोर्ट में सोने के मुद्रीकरण के लिए कई अन्य सिफारिशों के साथ मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। उक्त रिपोर्ट में सोने को मुद्रीकृत करने में बैंकों और गैर-बैंकिंग कम्पनियों की सकारात्मक भूमिका को भी स्वीकार किया गया है।

सकल घरेलू अनुपात में मूलभूत सुविधा फर्मों की हिस्सेदारी 40%

वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष (Cell) कक्ष द्वारा पुनर्व्यवस्थित किए गए 10 में से 4 से अधिक खाते मूलभूत सुविधा कम्पनियों के थे। कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष (Cell) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल और सितम्बर, 2012 के बीच उक्त कक्ष ने 15,562 करोड़ रुपये मूल्य के मूलभूत सुविधा ऋणों को पुनर्व्यवस्थित किया। पुनर्व्यवस्था के तहत बकाया मूलभूत सुविधा ऋण सितम्बर के अंत में 32,336 करोड़ रुपये थे। ऊंची ब्याज दर तथा बढ़े हुए ऋण स्तरों के

परिणामस्वरूप मूलभूत सुविधा कम्पनियों के न्यूनतम आधार में गिरावट आ रही है। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े मुद्दों के कारण परियोजनाओं के प्रारंभ होने में देरी हुई है।

वित्तीय संकट के बाद ऋण प्रोफाइल की अधिक जांच

ऋण आसूचना ब्यूरो (CIBIL) ने कहा है कि वित्तीय संकट के बाद वित्तीय संस्थाएं कम्पनियों की ऋण प्रोफाइल के बारे में अधिक जांच करने लगी हैं तथा उनमें से लगभग 20% वाहन ऋणों से सम्बन्धित हैं। ऋण आसूचना ब्यूरो (CIBIL) के प्रबन्ध निदेशक श्री अरुण ठुकराल का कहना है कि "वाहन ऋणों के सम्बन्ध में (अपेक्षाकृत बड़े शहरों में की गई) समस्त जांचों में दिल्ली एनसीआर का योगदान लगभग 34% है।" उनका यह भी कहना है कि "2008 वाले वित्तीय संकट के बाद बैंकों ने अपनी ऋण नीतियों को कठोर बना दिया है तथा विशिष्ट रूप से क्रेडिट कार्डों और वैयक्तिक ऋणों जैसे अप्रतिभूत ऋणों में अपने ऋण जोखिम (Exposure) में कमी कर दी है। बैंक अब कम साख श्रेणी निर्धारण वाले ग्राहकों को आवास ऋण देने के प्रति अधिक सतर्क हो गए हैं।"

भारतीय रिज़र्व बैंक परिवाद निवारण व्यवस्था की समीक्षा करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए परिवाद निवारण व्यवस्था की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। समीक्षाधीन वर्ष में बैंकिंग लोकपाल को कार्ड से सम्बन्धित 14,492 शिकायते प्राप्त हुईं। वर्तमान में भारत के 29 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के साथ 15 बैंकिंग लोकपाल हैं।

आयात को घटाने के लिए सोने से जुड़े उत्पादों की जरूरत

सोने से जुड़े उत्पादों को प्रवर्तित करना तथा लोकप्रिय बनाना और उसके द्वारा देश के चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए निवेशकों द्वारा भौतिक सोने की खरीद ओर उनके संचय को हतोत्साहित करना आवश्यक होता जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी.पद्मनाभन का कहना है कि "देश में सोने के प्रति अतोषणीय लोभ को देखते हुए यह अत्यावश्यक है कि हम सोने के अक्षुण्ण आयात की बजाय सोने से सम्बद्ध ऐसे उत्पादों को प्रवर्तित करें जिनके फलस्वरूप बैंक लॉकरों में मौजूद सोना वित्तीय उत्पादों के रूप में परिवर्तित करा लिया जाए।" सोने के आयात को नियंत्रित करने के उपायों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्य दल ने स्वर्ण ऋण कम्पनियों तथा नवोन्मेषकारी सोने से जुड़े वित्तीय उत्पादों के सम्बन्ध में अधिक कठोर मानदंडों की सिफारिश की है।

विनियामकों के कथन

नये बैंक लाइसेंसों के सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक नये बैंक लाइसेंस जारी किए जाने के सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा न प्रायोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए पूंजी बाज़ार के प्रति ऋण जोखिम (Expsure) के सम्बन्ध में 150% जोखिम-भार और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण जोखिम (Exposure) के सम्बन्ध में 125% जोखिम-भार प्रस्तावित किया है। उसने कठोर प्रवेश बिन्दु मानदंड तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए 7.50% की और मूलभूत सुविधा वित्तीयन कम्पनियों के लिए 10% की टियर-I पूंजी पर्याप्तता भी प्रस्तावित कर रखी है।

चालू खाते के घाटे को कम करने हेतु कोई मौद्रिक उपाय नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि जबकि शीर्ष बैंक चालू खाते के घाटे (CAD) के बारे में चिंतित है, वहीं वह उसे कम करने के लिए मौद्रिक उपायों का उपयोग नहीं करेगा। हम यह सूचित करने का प्रयास कर रहे हैं कि चालू खाते के घाटे का मुद्रास्फीति पर - अतएव मौद्रिक नीति के संचालन पर भी निहितार्थ होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों की परिपक्वता तक धारित उच्चतम सीमा पर विचार

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन बॉण्डों की न्यूनतम रकम को घटाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिन्हें बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी के अधीन धारित करना अपेक्षित है। परिपक्वता तक धारित श्रणी को रुकावट-रहित रीति से घटाया जा सकता है। वर्तमान में यह सीमा 25% पर नियत है, किन्तु पारंपरिक रूप से यह बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से जुड़ी रही है, जो इस समय 23% है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कठोरता के संकेत से बॉण्डों का प्रतिफल बढ़ा, रुपया लुढ़का

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति के समक्ष उसकी सुरक्षा में कमी लाने से इनकार के परिणामस्वरूप बॉण्डों पर उल्लासोन्माद क्षणिक सिद्ध हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि मुद्रास्फीति अब भी अधिक है और इस प्रकार जब वृद्धि मंद पड़ रही हो, उस समय मौद्रिक या राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश बहुत कम है। ठीक इस समय मौद्रिक और राजकोषीय, दोनों ही पक्षों में प्रोत्साहन की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव यह एक बड़ी चिंता है। 16 जनवरी को 10 वर्षीय न्यूनतम दर वाला सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में 5 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 7.88 % पर बंद हुआ। 14 जनवरी को सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति में सीमांत रूप से ही सही, कमी आने के बाद यह 7.80% के तीस माह के न्यून स्तर पर पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप पुनर्खरीद (Repo) दर में व्यापारियों की शर्त में 50 आधार अंकों की कमी आ गई थी।

नेट बैंकिंग में सहायता के लिए सुस्पष्ट मानदंड आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण / नेट बैंकिंग के लिए मानकों एवं संहिताओं के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया है। विकसित की जाने वाली संहिता में सीधे नामे, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, बिक्री केन्द्र इंटरनेट बैंकिंग और टेलीफोन बैंकिंग जैसी क्रेडिट कार्डों और नकदीतर भुगतान सुविधाओं का आवश्यक रूप से समावेश होना चाहिए। इसमें उन सूचनाओ, जो ग्राहक को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए, से सम्बन्धित नियमों, वे कब और किस प्रकार दी जानी चाहिए तथा शिकायत करने की कार्यविधियों का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

बीमा

उत्पाद मानकीकरण पर इर्डा के कार्य दल

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उत्पादों के मानकीकरण के लिए कार्य दलों का गठन किया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यूनिट सम्बद्ध बीमा योजनाओं (ULIPs), सम्बद्ध परिवर्ती बीमा योजनाओं और अन्य गैर-सम्बद्ध योजनाओं के लिए कार्य दलों का गठन किया है। चारों कार्य दलों में से प्रत्येक में 6 सदस्य जीवन बीमा कम्पनियों से और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से 1 प्रतिनिधि का समावेश होगा। उक्त दल उत्पादों की डिज़ाइन में एकरूपता लाने, ऐसे प्रासंगिक मापदंड निर्धारित करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जिनकी प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ये मापदंड बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के विनियमनों से सुसंगत हों।

बीमा धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु इर्डा की नयी रूपरेखा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु एक नयी रूपरेखा जारी की है तथा बीमाकर्ताओं से उनके एजेन्टों सहित कर्मचारियों के सम्बन्ध में उचित कर्तव्यपरायणता कार्यविधि लागू करने के लिए कहा है। यह कहते हुए कि इस प्रकार की धोखाधड़ियां उपभोक्ता और शेयरधारक के विश्वास में कमी लाती हैं तथा वे अलग-अलग बीमाकर्ताओं तथा कुल मिलाकर बीमा क्षेत्र की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमाकर्ताओं से निगरानी और धोखाधड़ियों का शीघ्र पता लगाने हेतु कार्यविधियां निर्धारित करने के लिए कहा है। बीमाकर्ताओं को 30 जून, 2013 तक विनियामक को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

निवेश के अवसर चुनने की अधिक स्वतंत्रता

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) बीमा कम्पनियों को ए ए श्रेणी-निर्धारित कारपोरेट बॉण्डों में निवेश करने हेतु अधिक अवसर प्रदान करना चाहता है। इस मुहिम से कारपोरेट ऋण, विशेषत: मूलभूत सुविधा कम्पनियों द्वारा जारी लिखतों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। निवेश विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन से जीवन और सामान्य खण्ड, दोनों ही के बीमाकर्ताओं को उनके निवेशों के 15% को ऋण बाज़ार में 'ए ए' श्रेणी निर्धारित कारपोरेट लिखतों में लगाने का अवसर प्राप्त होगा। उक्त अवसर सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में निवेश सीमाओं को 'एएए' श्रेणी निर्धारित कारपोरेट बॉण्डों के साथ मिला कर सृजित की जाएगी। इन लिखतों की संमिश्र निवेश सीमा 75% नियत की जा सकती है। वर्तमान विनियमों में बीमा कम्पनियों से उनके ऋण बाज़ार लिखतों के 75% सरकारी प्रतिभूतियों सहित 'एएए' श्रेणी निर्धारित लिखतों में रखा जाना अपेक्षित है।

अब न्यूनतम मृत्यु, अभ्यर्पण मूल्य सहित जीवन सुरक्षा

अब परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद अनिवार्य न्यूनतम मृत्यु लाभ और न्यूनतम अभ्यर्पण मूल्य के साथ मिलेंगे। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने बताया है कि निदेशक मंडल ने न्यूनतम मृत्यु लाभ और न्यूनतम अभ्यर्पण मूल्य अनुमोदित कर दिया है। पारंपरिक योजनाओं को भी लाभों के कुछेक पहलुओं के सम्बन्ध में पेंशन उत्पादों के साथ जोड़ दिया गया है। यह उपाय जीवन बीमा उत्पादों के दीर्घकालिक स्वरूप को देखते हुए ग्राहक संरक्षण बढ़ाने के लिए किया गया है।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं परंपरागत ग्रमीण उधार मॉडेल से किनारा करने लगीं

बैंक निधीयन और कठोर विनियामक मानदंडों का सामना कर रही कई एक सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFIs) उधार देने के परंपरागत ग्रमीण मॉडेल से किनारा करने लगी हैं। इसके पीछे निहित विचार चूक की कमतर दर बनाए रखते हुए परिचालन लागत में कमी लाना है। 1976 से लागू ग्रामीण मॉडेल में समूह उधार के तहत साप्ताहिक चुकौतियों का विनिर्देशन है, जिसके द्वारा किसी समूह के सदस्य ऋणों की समय पर चुकौती के लिए निरंतर रूप से समकक्ष दबाव डालते रहते हैं। फलत: अधिकांश सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में चूक की दर 1-2% के जितनी कम है।

विदेशी मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा संकेन्द्रण में बदलाव

मई से विदेशी मुद्रा में वायदा संविदाओं के माध्यम से गहन रूप से हस्तक्षेप करने के बाद लगता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में हस्तक्षेप से सम्बन्धित अपने संकेन्द्रण का रुख वापस हाजिर डालर/रुपया बाज़ार की ओर मोड़ दिया है। नवम्बर में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 921 मिलियन अमरीकी डालर बेचे - जो एक वर्ष में अधिकतम है। इसके विपरीत उसने वायदे में हस्तक्षेप नहीं किया, इसकी बजाय उसने उसमें अपनी क्रय-विक्रय की कुछ स्थितियों को अक्षत रखा। वायदा सौदों में भारतीय रिज़र्व बैंक की बकाये से सम्बन्धित क्रय-विक्रय स्थिति अक्तूबर में 14.08 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर नवम्बर में 13.54 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में उसके डालरों की बिक्री के कारण रुपये में चलनिधि के अवरोध को स्थगित रखने के लिए वायदा संविदाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करना पसंद करता है।

फरवरी 2013 माह के लिए यथा-प्रयोज्य विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.78100	0.425	0.561	0.770	0.999
जीबीपी	0.98125	0.7618	0.8693	1.0040	1.1928
यूरो	0.49857	0.694	0.840	1.003	1.173
जापानी येन	0.47143	0.223	0.223	0.255	0.303
कनाडाई डालर	1.88200	1.446	1.562	1.698	1.832
आस्ट्रेलियाई डालर	3.60600	2.935	3.080	3.300	3.438
स्विस फ्रैंक	0.27440	0.208	0.308	0.440	0.578
डैनिश क्रोन	0.71250	0.9390	1.0840	1.2450	1.4040
न्यूजीलैंड डालर	3.33600	2.925	3. 083	3.238	3.385
स्वीडिश क्रोनर	1.75000	1.349	1.529	1.700	1.863
सिंगापुर डालर	0.54800	0.550	0.685	0.815	1.020
हांगकांग डालर	0.43000	0.470	0.580	0.660	0.840
एमवाईआर	3.25000	3.250	3.350	3.430	3.550

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	25 जनवरी, 2013 के दिन	25 जनवरी, 2013 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 951.80	2 96,749.70
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 093.40	2 61,708.60
ख) सोना	1, 491, 00	27, 219.80
ग) विशेष आहरण अधिकार	238, 80	4, 433.90
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	128.60	2, 387.40

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	ड्यूश बैंक	नकदी प्रबन्धन सेवाओं (CMS) के लिए
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	एमसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज	किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाज़ार के सहभागियों को ऋण देने के लिए
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	फाइनैंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI)	देश में उद्यमशीलता की वृद्धि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास
येस बैंक	किडजानिया	बच्चों को निधियों का प्रबन्धन करने के सूक्ष्म भेदों को सिखाने में समर्थ बनाना और वित्तीय साक्षरता दिलाना
इलाहाबाद बैंक	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ	उसके प्राथमिकता प्राप्त उधार को सहारा देने
आईसीआईसीआई बैंक	शेयरहोम्स	स्थावर संपदा विकासकर्ताओं की परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीयन योजनाएं प्रदान करना
पाइड्यन ग्रामीण बैंक	टीवीएस मोटर्स	तिपहिया वाहनों के लिए वित्तीयन विकल्प उपलब्ध कराना
देना बैंक	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह के नकदीकरण के लिए

बैंक ऑफ बड़ौदा	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC)	विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबन्धन सेवा लि. (NCMSL)	संपार्श्विक प्रबन्धन और मालगोदाम सेवाओं के लिए
भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (CERSAI)	क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनीज एक्सपीरियन एण्ड इक्वीफैक्स	प्रतिभूति की स्थिति और उसके साथ ही उधारकर्ताओं की ऋण प्रोफाइल की स्थिति की तुलना में उधारदाता उद्योग को सूचना उपलब्ध कराना

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. दीपाली पंत जोशी	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री आर.के. दुबे	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, केनरा बैंक
श्री एस.एस. मुन्द्रे	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा
श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, देना बैंक
श्री राज कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
श्री के. सुब्रहमण्यम	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
श्री बिभास कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक, कारपोरेशन बैंक

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

इसके पूर्व यथा-वर्णित रूप में हम पहले सिद्धांत पर चर्चा करेंगे।

दबाव परीक्षण को बैंक के समग्र संगठन के अभिशासन और उसकी जोखिम प्रबन्धन संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। दबाच परीक्षण निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन के रणनीतिक कारोबारी निर्णयों सहित प्रबन्धन के उपयुक्त स्तर पर निर्णयन को प्रभावित करने वाले दबाव परीक्षण विश्लेषणों से निकलने वाले परिणामों के साथ कार्रवाई किए जाने योग्य होने चाहिए। दबाव परीक्षण

कार्यक्रम में निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन की संलग्नता उसके प्रभावी परिचालन के लिए आवश्यक होती है।

समग्र दबाव परीक्षण कार्यक्रम की अंतिम जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है, जबकि वरिष्ठ प्रबन्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन, प्रबन्धन एवं अंतर्दृष्टि के लिए जवाबदेह होता है। यह स्वीकार करते हुए कि दबाव परीक्षण कार्यक्रम के कई एक व्यावहारिक पहलू प्रत्यायोजित होंगे, समग्र दबाव परीक्षण कार्यक्रम में निदेशक मंडल की तथा कार्यक्रम की डिज़ाइन में वरिष्ठ प्रबन्धन की संलग्नता आवश्यक होती है। यह व्यवस्था, विशेषत: फर्म-व्यापी दबाव परीक्षण के सम्बन्ध में उसके प्रभावी उपयोग को अधिकतम करने के सुनिश्चयन में सहायक होगी। विशिष्ट पसंदगियों और उसके साथ ही उनके मुख्य निहितार्थों के औचित्य स्पष्ट कर दिए जाने एवं प्रलेखित कर लिए जाने चाहिए, ताकि निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन किए गए दबाव परीक्षण की सीमाओं (अर्थात प्रमुख अन्तर्निहित मान्यताओं, दबाव परीक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में निर्णय की सीमा अथवा घटना के घटित होने की संभावना) से अवगत रहें। दबाव परीक्षण से निदेशक मंडल और जोखिम प्रबन्धन के बीच मॉडेलिंग सम्बन्धी मान्यताओं पर स्पष्ट चर्चा को बढ़ावा मिलना चाहिए।

कुल मिला कर दबाव परीक्षण कार्यक्रम कार्रवाईयोग्य होना चाहिए और उसे निदेशक मंडल अथवा वरिष्ठ प्रबन्धन के रणनीतिक करोबारी निर्णयों सहितं उपयुक्त प्रबन्धन स्तर पर निर्णयन प्रक्रिया में सहायक होना चाहिए। दबाव परीक्षणों का उपयोग निर्णयों के प्रसार क्षेत्र को समर्थित करने हेतु किया जाना चाहिए। विशेष रूप से किन्तु अनन्य रूप से नहीं, दबाव परीक्षणों का उपयोग फर्म की जोखिम अभिरुचि अर्थात ऋण जोखिम (Exposure) सीमा निर्धारित करने में सूचना के रूप में किया जाना चाहिए। दबाव परीक्षणों का उपयोग दीर्घावधिक व्यवसाय आयोजना तैयार करते समय या उस पर चर्चा करते समय रणनीतिक पसदगियों का समर्थन करने में भी किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से दबाव परीक्षण को पूंजी और चलनिधि आयोजना प्रक्रिया में सहायक होना चाहिए।

(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

कुशल बाज़ार प्रक्कल्पना (EMH)

एक ऐसा निवेश सिद्धांत जो यह कहता है कि "बाज़ार को मोड़ना" असंभव हे, क्योंकि शेयर बाज़ार की कार्यकुशलता मौजूदा शेयर कीमतों में समस्त प्रासंगिक सूचना हमेशा शामिल एवं निरूपित किए जाने का निमित्त होती है। कुशल बाज़ार प्राक्कल्पना (EMH) के अनुसार शेयर बाज़ार में शेयरों का क्रय-विक्रय हमेशा उनके उचित मूल्य पर किया जाता है, जिसके कारण निवेशकों के लिए या तो अल्प मूल्य वाले शेयरों को खरीदना या फिर उन्हें स्फीतिकारी कीमतों पर बेचना असंभव हो जाता है। अतएव समग्र बाज़ार को विशेषज्ञतापूर्ण शेयर चयन अथवा बाज़ार के समय-निर्धारण (Timing) के माध्यम से पीछे छोड़ देना असंभव होना चाहिए और यह कि कोई निवेशक अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ प्राप्त कर सके इसका एकमात्र संभाव्य तरीका है अधिक जोखिमपूर्ण निवेशों की खरीद करना।

शब्दावली

मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात (LTV Ratio)

एक ऐसा उधार जोखिम निर्धारण अनुपात जिसकी वित्तीय संस्थाएं और अन्य ऋणदाता किसी बंधक को अनुमोदित करने के पहले जांच करते हैं। विशिष्ट रूप से उच्च मूल्य की तुलना में ऋण वाले अनुपातों के निर्धारण सामान्यतया उच्चतर जोखिम वाले माने जाते हैं और इसलिए बंधक स्वीकृत हो जाने पर सामान्यतया उधारकर्ता को ऋण की लागत उधार लेने की अपेक्षा अधिक पड़ेगी अथवा उसे बंधक बीमा खरीदने की आवश्यकता होगी।

संस्थान की गतिविधियां

जनवरी, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तीयन	14 से 18 जनवरी, 2013
2	परियोजना वित्त पर कार्यक्रम	18 से 24 जनवरी, 2013
3	प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 से 25 जनवरी, 2013

फरवरी और मार्च, 2013 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण और लेखा-परीक्षा पर कार्यक्रम	11 से 13 फरवरी, 2013 तक
2	ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	25 फरवरी से 1 मार्च, 2013 तक
3	आवास वित्त पर कार्यक्रम	4 से 5 मार्च 2013 तक
4	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	11 से 13 मार्च, 2013 तक

संस्थान समाचार

आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने विश्विद्यालय के छात्रों और उक्त विश्वविद्यालय से संलग्न 412 महाविद्यालयों के भी छात्रों बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया है। उक्त समझौता ज्ञापन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 22 जनवरी, 2013 को विश्वविद्यालय परिसर में प्रा. के, विय्यान्ना राव, उप कुलपति आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय और श्री बी. ए. प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्रा बैंक तथा संस्थान की प्रशासन समिति के सदस्य की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। उक्त समझौता ज्ञापन इस दृष्टि से अनूठा है कि विश्वविद्यालय और उससे संलग्न महाविद्यालय बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा (DB &F) पाठ्यक्रम के लिए नामांकित सभी छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

परीक्षा शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान

मई / जून 2013 में और उसके बाद आयोजित होने वाली संस्थान की परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराने वाले सदस्य और सदस्येतर व्यक्ति अपने आवेदन पत्र और शुल्क ऑनलाइन विधि द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान, 2012

"भारत को उच्च वृद्धि की पटरी पर बनाए रखना, सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन और स्थिरता" विषय पर 29वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान योजना आयोग, भारत सरकार के सदस्य श्री सौमित्र चौधरी द्वारा 28 जनवरी, 2013 को यशवंतराय चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई में दिया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत श्री के.आर. कमत, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स (IIBF) के अध्यक्ष ने किया तथा व्याख्यान की समाप्ति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. आर. भास्करन द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। उक्त व्याख्यान में वरिष्ठ बैंकरों , अर्थशास्त्रियों की उपस्थिति अच्छी-खासी रही।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज़ रिसर्च फेलोशिप

वर्ष 2012-13 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज़ रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथी बढ़ा कर 31 मार्च, 2013 कर दी गई है।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

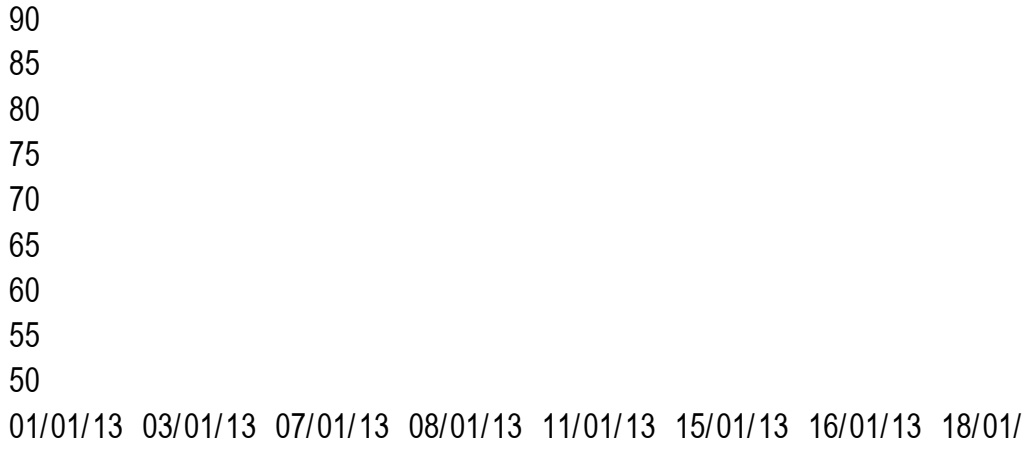

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- अमरीकी कानून निर्माताओं द्वारा एक ऐसे समझौते पर सहमत होने बाद जो राजकोषीय शैल से बचाएगा, स्थानीय शेयरों में लाभ के मार्ग पर चलकर मामूली मूल्यवृद्धि दर्शाते हुए माह के पहले दिन रुपया प्रति डालर 54.69 पर बंद हुआ, किन्तु कमजोर घरेलू ने तीव्र वृद्धि को सीमित कर दिया।
- स्थानीय इक्विटियों में निरंतर अंतर्वाहों द्वारा सहायता पा कर रुपया 8वीं को बढ़ा, किन्तु देश के श्रेणी निर्धारण के बारे में फिच की चेतावनी ने घरेलू मुद्रा के समक्ष उपस्थित प्रतिवातों को पुन: रेखांकित किया। रुपया 7वीं को 55.23/24 के स्तर पर बंद वाले स्तर से मजबूत हो कर प्रति डालर 54.99/00 पर बंद हुआ।
- 14वीं को रुपया प्रति डालर 25 पैसे बढ़ कर 54.50 पर बंद हुआ। रुपया मजबूत हुआ, क्योंकि अपेक्षित से कमतर स्तर वाली मुद्रस्फीति की संख्याओं ने इस आशय की प्रत्याशाओं को बढ़ाया कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा।
- सेंसेक्स के दो माह के उचच स्तर पर पहुंचने के अलावा रिलाएंस इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड निगम द्वारा डालरों की बिक्री के आधार पर 18वीं को रुपया मजबूत हो कर ढाई माह के उच्च स्तर पर बंद हुआ।

भारित औसत मांग दरें

8 20
8.00
7.80
7.60
7.40

01/01/13 02/01/13 04/01/13 08/01/13 10/01/13 12/01/13 14/01/13 16/01/13 18/01/13 19/01/13 21/01/13 24/01/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- बाज़ार सामान्यत: श्रेणीबद्ध बना रगा।
- दरें 8.14% के उच्च और 7.64% के न्यून स्तर पर घटती-बढ़ती रहीं।
- ठीक 7 दिनों के अंतराल के बाद 5वीं, 12वीं और 19वीं को दरों में गिरिावट परिलक्षित हुई।
- माह के अंत में दरों में मामूली सी स्थिरता आई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20200
20100
20000
19900
19800
19700
19600
19500

01/01/13 02/01/13 04/01/13 08/01/13 11/01/13 14/01/13 16/01/13 17/01/13 21/01/13 24/01/12 25/01/13 30/01/13 31/01/13

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न फरवरी, 2013